भारत सरकार
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
जोधपुर मंडल, जोधपुर

प्रत्नकीर्तिमपावृणु

Government of India
Archaeological Survey of India
Jodhpur Circle, Jodhpur

पत्रावली संख्या 07/9/जोध/सर्वे/कुम्भ/भू० अधि/2017 दिनांक 05.08.19

आम जन सुनवाई हेतु

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन समिति – भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सपठित राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, केन्द्र सरकार द्वारा आशयित है :

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
राजसमन्द	कुम्भलगढ़	किला कुम्भलगढ़	572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595/1 और 595/2	11 बीघा 05 बिस्वा	कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करने हेतु राजस्व ग्राम किला कुम्भलगढ की निजी खातेदारी की भूमियां किता 25 क्षेत्रफल 11 बीघा 05 बिस्वा भूमि का अधिग्रहण किया जाना है।

उपरोक्त उल्लेखित भूमि अवाप्ति हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु गठित समिति की आगामी बैठक एवम् जन सुनवाई **दिनांक 08.08.2019 को समय प्रातः 10:00 बजे स्थान कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़** पर नियत की गई है। उपरोक्त भू–अर्जन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई भी सुझाव/ आक्षेप अथवा जानकारी देनी हो तो विहित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर जन सुनवाई के दौरान दी जा सकती है। इस संबंध में किसी प्रकार का औपचारिक प्रारूप निर्धारित नहीं है, अतः आवश्यक ब्यौरे को शामिल करते हुए लिखित एवम् हस्ताक्षरित या अंगूठे के निशान युक्त पत्र, चाहे सादे कागज पर हस्तलिखित हो अथवा टंकित, को सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन समिति द्वारा प्राप्त किया जाएगा। ऐसे मामले जहां संबंधित व्यक्ति को अपने अभिमत लिखित रूप में देने में कठिनाई हो, वहां यथास्थिति समिति के सदस्य व्यक्ति को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करते हुए उसके कथनों को लेखबद्ध करने की व्यवस्था करेंगे।

उपरोक्त जन सुनवाई के दौरान समिति के सदस्य प्रभावित खातेदारों के द्वारा उठाए गए प्रश्नो और प्रसंगों का पूर्णतः संज्ञान लेंगे तथा उपस्थित व्यक्तियों को भूमि के अर्जन से संबद्ध समस्त जानकारी दी जाएगी। अतः एतद् द्वारा समस्त खातेदारों/ प्रभावित कुटुंब तथा हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि जन सुनवाई में प्रतिभाग करके अपने मंतव्य अवश्य अभिलिखित कराए, जिससे उनके दृष्टिकोण/ विचारो को सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट में सम्मिलित किया जा सके।

अधीक्षण पुरातत्त्वविद्
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण,
जोधपुर मण्डल, जोधपुर